राजस्थान में महिला सशक्तिकरण में महात्मा गांधी नरेगा की क्षमता का विश्लेषण

अमूर्त :

मनरेगा एक प्रमुख सार्वजनिक कार्य कार्यक्रम है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी ग्रामीण वयस्क प्रति वर्ष प्रति घर 100 न्यूनतम–मजदूरी वाले सार्वजनिक कार्य दिवसों में काम कर सकते हैं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाओं के पास कम राजनीतिक अवसर हैं। मनरेगा के पुरुष महिलाओं की तुलना में गरीब परिवारों से आते हैं। एक सर्वेक्षण से पता चला है कि घर से बाहर काम करने वाली भारतीय महिलाओं के काम करने की संभावना अधिक थी। मनरेगा के गारंटीकृत नौकरी कार्यक्रम के कार्यान्वयन से अधिक लोगों को सशक्त और समान बनाया जा सकता है। कड़ी मेहनत और शारीरिक तनाव मनरेगा के काम को ष्अंतिम उपाय का रोजगारष् बनाते हैं। जब रोजगार कम होता है तो पुरुष महिलाओं को काम से बाहर कर देते हैं। नौकरी की कमी ने महिलाओं को मनरेगा–अनिवार्य ष्अंतिम उपाय रोजगारष् की ओर अग्रसर किया है। 2012 के शोध के अनुसार, मनरेगा ने आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की मदद की है। तमिलनाडु, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मेघालय और हिमाचल प्रदेश में औसत। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, राजस्थान और झारखंड में खराब सरकारें हैं। राज्य को इस पहल से पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिए घरेलू या व्यक्तिगत आजीविका में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी और मांग को पूरा करने में मनरेगा की भूमिका का पता लगाना चाहिए। इस प्रकार, यह अध्ययन राज्य की कोविड–19 के बाद की स्थिति और क्षेत्रों की संभावना और योजना के दायरे की जांच करता है। अध्ययन से पता चलता है कि मनरेगा ने नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण राजस्थानी महिलाओं को सशक्त बनाया है। कमजोर महिलाओं को इसकी संरचना, मुआवजा और कार्यभार पसंद है।

कीवड : मनरेगा, पुरुषों का पलायन, महिलाओं की आजीविका, महिलाओं का कल्याण, महिलाओं पर बोझ

परिचय

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जो 2005 में लागू हुआ, ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के अवसरों तक पहुँच को प्राथमिकता देता है। यह महिलाओं के लिए समान वेतन, अलग–अलग वेतन संरचना, बाल देखभाल सुविधाएँ और बाल देखभाल सेवाओं की गारंटी देता है। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक घटक महिला साथी भी शामिल है, जो लाभार्थियों के घरों के नजदीक रोजगार के अवसर प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण भारत में महिलाओं की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है।

क्रम सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	59.90	60.07	57.26	57.82	60.51
2	अरुणाचल प्रदेश	38.69	40.47	41.33	44.73	45.85
3	असम	41.08	41.77	44.08	47.57	47.50
4	बिहार	51.74	55.83	54.63	53.19	56.35
5	छत्तीसगढ	50.05	50.70	50.50	51.62	53.16
6	गोवा	70.67	75.59	76.55	78.40	78.40
7	गुजरात	44.53	45.13	46.52	46.62	47.77
8	हरयाणा	50.05	50.59	48.80	52.67	59.54
9	हिमाचल प्रदेश	63.26	62.75	61.05	62.53	64.77
10	जम्मू और कश्मीर	29.98	32.93	31.67	33.34	30.67
11	झारखंड	39.22	41.31	42.56	45.61	47.55
12	कर्नाटक	48.59	49.12	49.47	50.13	51.90
१३	केरल	90.41	89.80	90.49	89.61	89.82

क्रम सं.	राज्य संघ राज्य क्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
14	लद्दाख	ना	60.65	61.46	62.23	61.78
15	मध्य प्रदेश	36.54	38.12	40.50	41.05	41.77
16	महाराष्ट्र	44.87	43.41	42.93	43.67	44.73
17	मणिपुर	47.41	48.99	52.03	52.58	50.88
18	मेघालय	50.15	50.51	51.37	50.61	51.49
19	मिजोरम	38.15	50.86	56.82	47.75	48.20
20	नगालैंड	31.56	35.63	36.31	38.15	42.91
21	ओडिशा	41.99	43.30	44.74	46.14	47.94
22	पंजाब	60.73	58.79	56.92	60.42	66.55
23	राजस्थान Rajasthan	66.07	67.33	65.68	66.68	68.17
24	सिक्किम	50.93	51.07	51.17	52.65	54.52
25	तमिलनाडु	85.40	86.30	85.37	85.70	86.41
26	तेलंगाना	62.80	61.50	58.06	59.18	61.53
27	त्रिपुरा	46.19	47.03	47.62	47.53	48.44
28	उतार प्रदेश।	35.28	34.28	33.57	37.25	37.75
29	उत्तराखंड	55.15	56.62	55.14	55.51	56.66
30	पश्चिम बंगाल	48.18	47.93	45.20	46.75	47.96
३१	अण्डमान और निकोबार	63.59	59.43	54.66	54.10	58.97
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	37.25	11.63	13.04	0.00	26.67
34	पुदुचेरी	87.64	86.79	86.82	87.59	87.48
	राष्ट्रीय	**54.60**	**54.79**	**53.20**	**54.82**	**57.43**

भारत में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में भाग लेने के पात्र हैं, यह एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जो प्रति वर्ष प्रत्येक परिवार को न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार प्रदान करता है। ऐसा कहने के बाद, अध्ययनों से पता चलता है कि राजनीति में भाग लेने की कोशिश करते समय महिलाओं को महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भले ही यह शारीरिक मांगों के कारण ष्अंतिम उपाय का रोजगारष है, लेकिन मनरेगा के गारंटीकृत रोजगार कार्यक्रम में समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की क्षमता है। मनरेगा के तहत, कुछ राज्य दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैंय उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। दूसरी ओर, सिक्किम, छत्तीसगढ़, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ठीक–ठाक प्रदर्शन करते हैं। कोविड–19 महामारी के दौरान आवश्यक 100 दिनों के श्रम में से, 43 प्रतिशत परिवारों ने आधे से अधिक काम पूरा किया।इससे परिवारों के साल भर के भोजन को लेकर चिंताएँ पैदा होती हैं। हितधारक चाहते हैं कि इस योजना के कार्यदिवसों को बढ़ाकर 200 किया जाए और इस साल मजदूरी की दरें बढ़ाई जाएँ (रजत कुमार, 2020)।

इस प्रकार, राज्य में मनरेगा की आवश्यकता निश्चित रूप से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति, घरेलू या व्यक्तिगत आजीविका में उनकी भागीदारी और आवश्यकता को पूरा करने में मनरेगा की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। इस शोध में, राज्य के कोविड–19 के बाद के परिदृश्य की जांच की गई है और वर्तमान और भविष्य की संभावनाओं और संभावित दायरे को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्रों का विश्लेषण किया गया है जिन्हें योजना के माध्यम से लागू किया जा सकता है। शोध का उद्देश्य एक तथ्यात्मक दस्तावेज के रूप में काम करना है जो जुड़े हुए शोध और सर्वेक्षण खंड प्रदान कर सकता है :

- राजस्थान में महिला ग्रामीण सशक्तिकरण के संदर्भ में मनरेगा की वास्तविक आवश्यकता को समझना।
- ग्रामीण आजीविका में महिलाओं की भागीदारी की प्रवृत्ति और मांग को पूरा करने में मनरेगा की भूमिका का विश्लेषण करना।
- ग्रामीण राजस्थान में लिंग–मुक्त आजीविका सहायता योजना विकसित करने के लिए मनरेगा का संभावित दृष्टिकोण।

संबंधित काम

शाह, मेहता, कार्तियानी, और जॉनसन (2018) अध्ययन में 2006–2014–15 के दौरान महाराष्ट्र में मनरेगा (मध्यम आय सृजन) के प्रदर्शन की तुलना रोजगार गारंटी कार्यक्रम (ईजीएस) से की गई है। निष्कर्ष बताते हैं कि मनरेगा ने ग्रामीण जीवन स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार किया है, लेकिन भविष्य की सफलता पिछले दशक में महत्वपूर्ण बदलावों के बावजूद, विकसित होती ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक–आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं को समायोजित करने के लिए इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करती है।

नाइकू, ठाकुर, और गुरुओ (2018) महिलाओं को सशक्त बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन मनरेगा अधिनियम उनकी स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और आय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करने और अपने बच्चों की देखभाल करने की अनुमति देता है, और कई ग्रामीण महिलाएं व्यवसाय शुरू करती हैं। हालाँकि, लेखक उन कठिनाइयों को उजागर करते हैं जिन पर महिलाओं के लिए अधिनियम को और अधिक सार्थक बनाने के लिए तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

विश्वनाथन, मिश्रा, और भट्टाराई (2020) नरेगा में स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता और साक्षरता कार्यक्रमों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को बेहतर तरीके से शामिल किया जा सके। इसके लाभों के बारे में जागरूकता और जानकारी की कमी एक गंभीर मुद्दा है। राजस्थान ने सफलतापूर्वक आईसीटी को नरेगा कार्यान्वयन के साथ एकीकृत किया, जिससे शोषण और भ्रष्टाचार में कमी आई। अन्य राज्यों में समान संरचनाओं को अपनाने से ज्ञान विषमताओं को दूर किया जा सकता है और कार्यान्वयन में सुधार किया जा सकता है।

अध्ययन की प्रेरणा और दायरा

मनरेगा एक ग्रामीण रोजगार योजना है जो मांग के आधार पर संचालित होती है। वेतन में वृद्धि से प्रणाली का अधिक उपयोग हो सकता है (्.•.लपउह.बवउ)। यह किसी भी पिछली रोजगार सृजन रणनीति से अपने डिजाइन में अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में, रोजगार के अवसरों की कमी और कम आय के कारण इस तरह के कार्यक्रम का बहुत महत्व है। रेगिस्तानी क्षेत्र में, ग्रामीण आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कम रोजगार वाला और सूखे और अन्य असामान्य मौसम की स्थिति के प्रति संवेदनशील है। यह पहल 2008 से राजस्थान के सभी जिलों में लागू की गई है। इस पहल का मूल उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, जैसे जल संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों का प्रबंधन, वनीकरण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास और सड़क निर्माण। कार्यक्रम मुख्य रूप से शारीरिक श्रम पर केंद्रित है, हालांकि ऐसी नौकरियों की आवश्यकता है जो प्रौद्योगिकी–उन्मुख हों। विश्व बैंक (2009) के अनुसार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), जिसे वर्तमान में एमजीएनआरईजीए के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे गरीब व्यक्तियों के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है। ये परियोजनाएँ दुनिया भर में आर्थिक गिरावट के दौर में और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं।

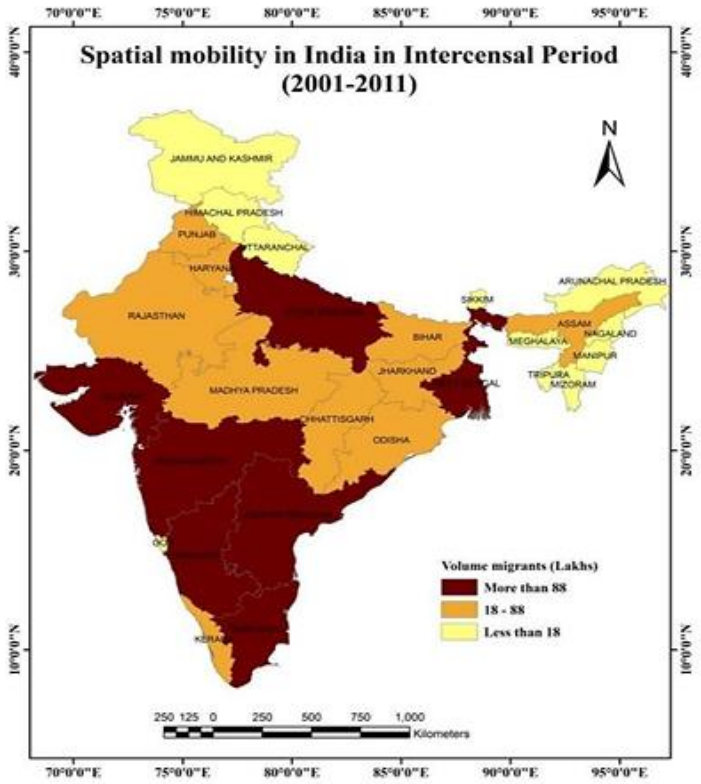

Source: Ansary, Rabiul. (2018). Emerging patterns of migration streams in India: A state-level analysis of the 2011 census. Migration Letters

कोविड–19 के बाद भारत में आंतरिक प्रवास में नाटकीय वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से श्रम बाजार में बदलाव के कारण है। ग्रामीण भूमि का विखंडन, श्रम–प्रतिस्थापन कृषि तकनीक की शुरूआत, ऋण भार, पर्यावरणीय आपदाएँ, सीमित रोजगार के अवसर, अत्यधिक गरीबी और वेतन असमानता सभी इस प्रवृत्ति में भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सुरक्षा और पूर्वानुमान की कमी के कारण पलायन कर रहे हैं, जिससे कृषि उत्पादन में कमी आई है और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन करने वालों के लिए जीवन बदतर हो गया है। संसाधन–समृद्ध और अत्यधिक कुशल बीमारू राज्य भारत के उत्प्रवास संख्या में बड़ा अंतर ला सकते हैं। प्रवासी आबादी के कुशल उपयोग की गारंटी के लिए प्रवास नीति और रणनीतिक योजना की एक अधिक संरचित विधि की आवश्यकता है। पलायन को कम करना और कोविड–19 महामारी जैसी अप्रत्याशित घटनाओं से बचाव स्थानीय नौकरी प्रावधानों में सुधार और ग्रामीण निवासियों को सॉफ्ट बैंक ऋण प्रदान करके हासिल किया जा सकता है।

(Persondays in lakh)

Sr. No.	States	2012-2013			2013-2014		
		Total	Women	Percent	Total	Women	Percent
1.	Haryana	117.64	49.06	41.7	126.73	50.54	39.88
2.	**Himachal Pradesh**	**282.09**	**176.36**	**62.52**	**239.37**	**145.14**	**60.63**
3.	Jammu & Kashmir	330.52	76.38	23.11	240.82	49.37	20.5
4.	Punjab	134.54	70.96	52.74	63.59	29.68	46.67
5.	Rajasthan	1838.25	1245.55	67.76	2180.58	1504.45	68.99
6.	Sikkim	43.4	19.44	44.79	33.15	14.8	44.64
7.	Uttar Pradesh	1737.74	385.19	22.17	1376.36	270.7	19.66
8.	Uttarakhand	161.01	71.91	44.66	160.55	73.84	45.99
India		21867.74	11554.6	52.84	21848	11388.5	52.12

Source: *http://www.nrega.nic.in*

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (डळछत्म्ळ।) में महिलाओं की भागीदारी के मामले में राजस्थान शीर्ष स्थान पर है, जो महिलाओं की भागीदारी के लिए आवश्यक है। जब महिलाएं श्रम बाजार में भाग लेती हैं, तो यह उनकी प्रतिभा और क्षमताओं को बहुत प्रभावित करता है, जिससे वे बाजार का अभिन्न अंग बन जाती हैं। फिर भी, महिलाओं की क्षमता विकास, ज्ञान और सक्रिय भागीदारी सुधार की मात्रा निर्धारित करेगी। डळछत्म्ळ। की दीर्घकालिक व्यवहार्यता राजनेताओं द्वारा प्रवासन सीमाओं को लागू करने, आर्थिक विकल्प बनाने और महिलाओं को निर्णय लेने का अधिकार देने पर निर्भर करती है।

सामग्री और तरीके

यह अध्ययन इस बात पर गौर करता है कि ग्रामीण राजस्थान में प्रवास की वर्तमान प्रवृत्ति से महिलाओं की आजीविका और पारिवारिक जरूरतें किस तरह प्रभावित हो रही हैं। मध्यम आय सृजन और रोजगार गारंटी (मनरेगा) में महिला प्रतिभागियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, हालाँकि अभी भी समर्थन की कमी है। शोध इन मामलों को संभालने में मनरेगा के कार्य पर गहराई से विचार करता है, और सुधार की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। अध्ययन अपने लक्ष्यों को बताता है और वर्णनात्मक और निगमनात्मक पद्धति का उपयोग करके अपने परिणामों का वर्णन करता है। अध्ययन का व्यापक लक्ष्य योजना के कार्य के लिए नीतिगत सिफारिशें और तर्क प्रदान करना है।

निष्कर्ष और चर्चा

(क) राजस्थान में वर्तमान पलायन की प्रवृत्ति

प्रवास के कारण	पुरुष एन	पुरुष %	महिला एन	महिला %	कुल संख्या	कुल %
कार्य/रोजगार	1,080,094	37.72	188,667	1.34	1,268,761	7.51
व्यापार	27,694	0.97	17,071	0.12	44,765	0.26
शिक्षा	88,084	3.08	50,215	0.36	138,299	0.82
शादी	117,032	4.09	12,117,196	86.33	12,234,228	72.39
जन्म के बाद स्थानांतरित	484,649	16.92	320,040	2.28	804,689	4.76
परिवार के साथ चले गए	782,925	27.34	1,023,281	7.29	1,806,206	10.69
अन्य	283,267	9.89	319,949	2.28	603,216	3.57
कुल	**2,863,745**	**100.00**	**14,036,419**	**100.00**	**16,900,164**	**100.00**

तालिका 2 : राजस्थान से अंतर्राज्यीय प्रवास के कारण
स्रोत : भारतीय रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारतीय गृह मंत्रालय

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के प्रवास के संदर्भ में, यह देखा गया है कि 72.39ः महिलाएं ज्यादातर शादी के कारण यात्रा करती हैं, जबकि अतिरिक्त 10.69ः अपने परिवारों के साथ प्रवास करती हैं। नौकरी या रोजगार की तलाश में महिला प्रवास दर 7.51ः थी। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से केवल 0.26ः महिलाएँ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रवास करती हैं। 4.76ः महिलाएँ जन्म देने के बाद स्थानांतरित हो गईं। इसलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला प्रवास का प्राथमिक मकसद या तो शादी है या घर के साथ स्थानांतरण। उल्लिखित कारणों के अलावा अन्य कारणों से पलायन का स्तर कम है। इसलिए, जब पुरुषों और महिलाओं के प्रवास की तुलना की जाती है, तो पुरुष प्रवास का प्राथमिक मकसद रोजगार था, इसके बाद अपने परिवार के साथ पलायन करना और अंत में, एक बच्चे के जन्म के बाद स्थानांतरण करना था।

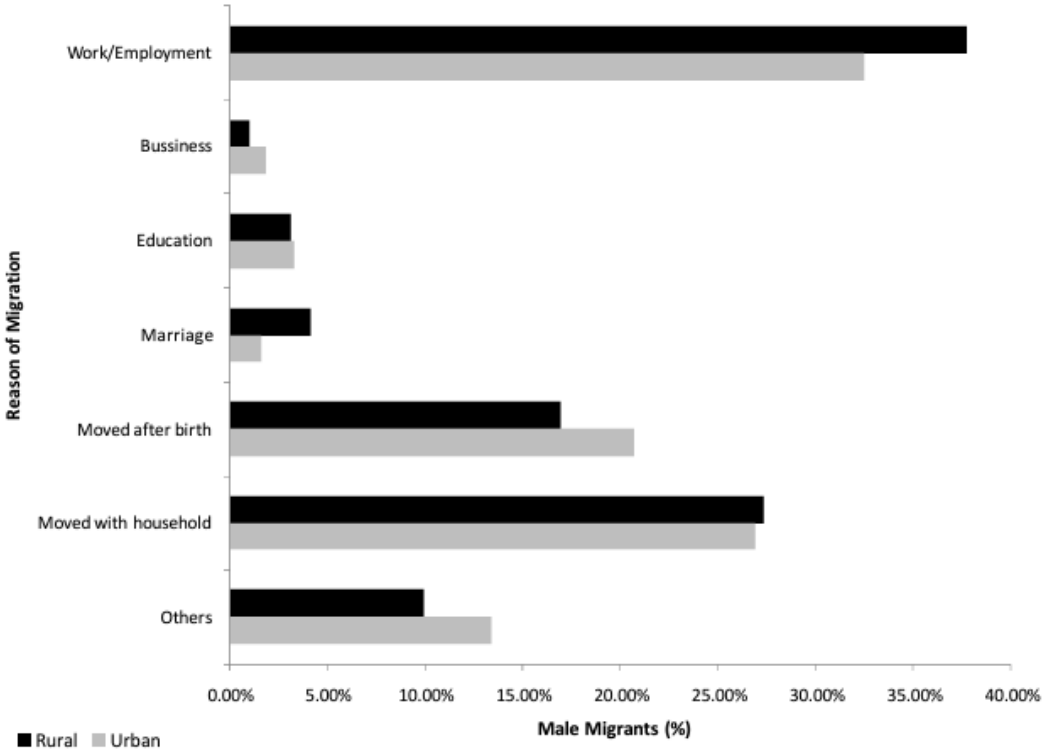

चित्र 2 : राजस्थान से पुरुषों के पलायन के कारण

2011 की जनगणना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रवास के रुझान काफी अलग पाए गए। शहरों में रहने वाले पुरुषों की तुलना में, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग रोजगार, शिक्षा, विवाह और बच्चे के जन्म से संबंधित कारणों से स्थानांतरित होने की अधिक संभावना रखते हैं। ग्रामीण और शहरी पुरुष प्रवासियों के बीच प्रवास के अनुपात में पर्याप्त अंतर शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करके दिखाया गया था, जो कोई सार्थक अंतर की भविष्यवाणी नहीं करता है। यह इस बात का उदाहरण है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रवासी पैटर्न कितने अलग हैं।

(ख) राजस्थान में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी

क्योंकि यह मंदी के दौरान भी रोजगार प्रदान करता है और महिलाओं के लिए काम पर जाना आसान बनाता है, इसलिए मनरेगा योजना अपने लाभार्थियों के बीच पसंदीदा है। बहुत सी महिलाएँ घर और खेत की जिम्मेदारी संभालती हैं। भले ही वेतन दरें कम हों, फिर भी यह प्रणाली परिवारों को एक स्थिर आय और कुछ अतिरिक्त पैसे देती है। कार्यबल तक अधिक पहुँच, स्व–रोजगार और बचत की संभावनाएँ सभी इस प्रणाली का हिस्सा हैं। परिवार की स्वीकृति, बेहतर कामकाजी परिस्थितियाँ और कम तनाव ऐसे अन्य कारक हैं जो महिलाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

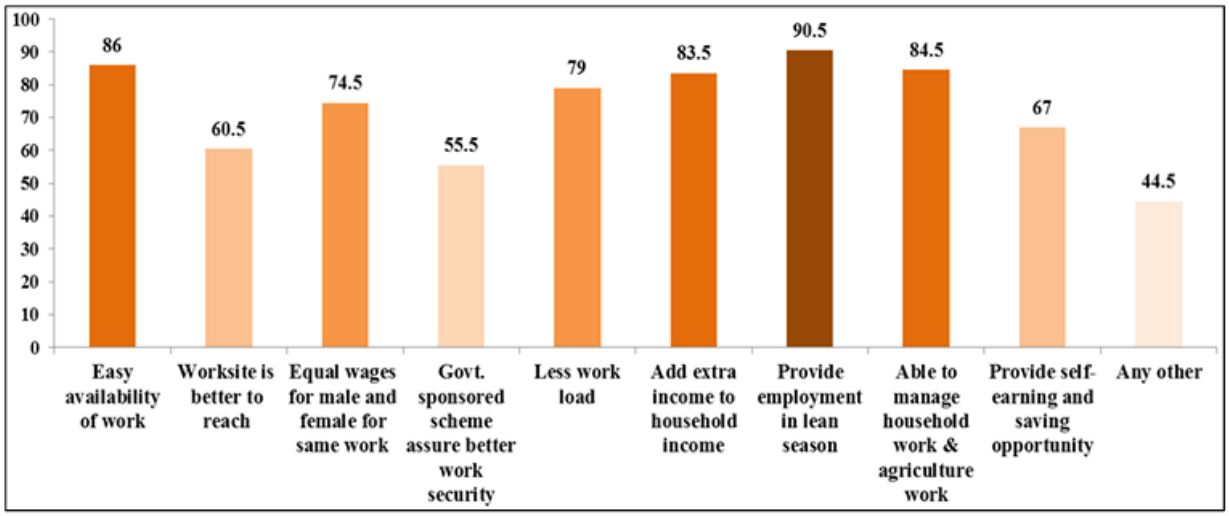

आकृति : मनरेगा में महिला भागीदारी के कारक

नौकरी की तलाश कर रहे लोग मुख्य रूप से ग्राम सभा में अपनी समस्याएँ बता सकते हैं और मनरेगा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सहभागिता का स्तर कम हैय सर्वेक्षण में भाग लेने वालों में से केवल 30: ने किसी प्रकार की सिफारिश की। केवल 82: महिला लाभार्थी ग्राम पंचायत में जाती हैं, जो चिंताओं को हल करने के लिए प्राथमिक इकाई है। हालाँकि मनरेगा खुलेपन और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है, फिर भी कर्मचारियों को अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक लेखा परीक्षा समिति के सदस्य, पंचायती राज अधिकारी, या मेट केवल 14: महिलाओं के लिए एक नौकरी है जिन्हें लाभ मिलता है। लाभार्थियों, विशेष रूप से महिलाओं को अब योजना की बदौलत अपने अधिकारों, उपलब्ध कार्यक्रमों और संभावनाओं के बारे में बेहतर समझ है।

निष्कर्ष और भविष्य के लक्ष्य

चूंकि महिलाएं लंबे समय से नौकरी की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और कौशल उन्नयन जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित रही हैं, इसलिए अध्ययन से पता चलता है कि ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं को सशक्त बनाने में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना की संरचना, उचित वेतन और प्रबंधनीय कार्यभार ने महिलाओं के बीच इसकी लोकप्रियता में योगदान दिया है, खासकर उनमें से सबसे कमजोर महिलाओं के बीच। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी ने घर और समुदाय दोनों में निर्णय लेने वालों के रूप में उनकी भूमिका को बढ़ाया है।

भविष्य की सिफारिशें

कार्यक्रम भूमिकाओं में विविधता लाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, शिकायत निवारण को बढ़ाना और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ये सभी मनरेगा प्रणाली के लक्ष्य हैं। मजदूरी दरों को बाहरी बाजार मानकों के अनुरूप लाया जाता है और महिलाओं को प्रशासनिक और नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षा और व्यवसाय स्वामित्व के बीच के अंतर को कम करके, यह महिलाओं को अपनी वित्तीय स्थितियों में अधिक सुरक्षित महसूस करने और नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलने में मदद कर सकता है। अंतिम लक्ष्य मनरेगा को इस तरह से नया रूप देना है कि यह ग्रामीण भारतीयों को दीर्घकालिक नौकरी गारंटी कार्यक्रम प्रदान करे जो लिंग के आधार पर भेदभाव न करे।

संदर्भ

1. नाइकू, ए.ए., ठाकुर, एस.एस., और गुरु, टी.ए. (2018)। मनरेगा के तहत महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता: ग्रामीण जीवन में एक महान क्रांति। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 3(3)।
2. रेखा, और मेहता, आर. (2019)। ग्रामीण-गरीबों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मनरेगा का प्रभाव: राजस्थान के जोधपुर जिले का एक अध्ययन। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इनवेंशन, 8(3, सीर. I), 18-24।https://www.ijhssi.org
3. शाह, ए., मेहता, ए.के., कार्तियानी, वी.पी., और जॉनसन, एन. (2018)। मनरेगा की यात्रा: बदलते दृष्टिकोण और चुनौतियाँ। वृक्षारोपण वनों के सामाजिक-आर्थिक और पारिस्थितिक निहितार्थ (पृष्ठ 225-244)। स्प्रिंगर।https://doi.org/10.1007/978-981-10-6262-9_13
4. विश्वनाथन, पी.के., मिश्रा, आर., और भट्टाराई, एम. (2020). मनरेगा के लैंगिक प्रभाव: भारत में चयनित आईसीआरआईएसएटी गांवों से साक्ष्य।
5. दीप्ति, टी., और चंद्र शेखर, वी. (2024)। सतत विकास में मनरेगा की भूमिका: पर्यावरण और सामाजिक दृष्टिकोण। विज्ञान, संचार और प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 4(2)।https://doi.org/10.XXXX/ijarsct.2024
6. शर्मा, सी., और निवास, आर. (2021)। मनरेगा के माध्यम से मौजूदा महिला लाभार्थियों की जागरूकता, बाधाएँ, लाभ और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण: एक समीक्षा। जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज।
7. नंदी, ए., तिवारी, सी., और कुंडू, एस. (2021)। भारत की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - यह मौसमी ग्रामीण पलायन निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है? जर्नल ऑफ पॉलिसी मॉडलिंग, 43(6), 1181-1203।https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.09.001